उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय

चतुर्थ/पंचम तल ,इन्दिरा भवन ,अशोक मार्ग, लखनऊ –226001

पत्र संख्या– एफएस–1076/2014(100)

सेवा में,

दिनांक: मई29 , 2014

अधिशासी अभियन्ता

उ0प्र0.आवास एवं विकास परिषद,

नीलगिरी काम्पलेक्स ,तृतीय तल ,इंदिरा नगर,लखनऊ ,

विषय :– प्लाट/खसरा सेक्टर–02ए, अवध बिहार योजना ,जिला लखनऊ, पर मेसर्स उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, द्वारा प्रस्तावित मंदाकिनी इंक्लेव भवन की प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक:283/वाई–42/18,दिनॉक 26.02.2014 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के संसोधित मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ एवं प्रभारी उपनिदेशक लखनऊ द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ व प्रभारी उपनिदेशक लखनऊ की आख्या दिनॉक:29.05.2014 के अनुसार –

भवन की संरचना :–

1–कुल भूखण्ड एरिया 32131.63 वर्ग मीटर ।

2 –प्रस्तावित भूतल का आच्छादित कबर्ड एरिया 7464.20 वर्ग मीटर ।

3 –प्रश्नगत भवन के समस्त ब्लाकों का कुल टिपिकल कबर्ड एरिया 96798.62 वर्ग मीटर है ।

4 –बेसमेन्ट का कबर्ड एरिया 17527.59 वर्ग मीटर ।

5–भवन की अधिकतम् ऊॅचाई 50.950 मीटर है ।

भवन का अधिभोग एॅव हैजार्ड श्रेणी –प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0–2005 में समूह आवास श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढॅाचागत व्यावस्था :–

1–पहुॅच मार्ग :–भूखण्ड के सामने मानचित्र में 45 मीटर रोड की चौडाई अंकित है ।

2–प्रवेश द्वार की चौडाई:– प्रश्नगत भवन परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 06–06 मीटर चौडाई के दो गेट मानचित्र में अंकित है।

3–सेटबैक :– प्रस्तावित भवन का न्यूनतम् सेटबैक निम्नवत है –

- अग्रभाग 15.00 मीटर ।
- पृश्ठभाग 15.00, मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम 15.00 मीटर ।

- पार्श्व भाग द्वितीय 15.00 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई /अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा ।

4–निकास मार्ग :–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में 1.50–1.50 मीटर चौडाई के दो–दो स्टेयरकेश का मानचित्र में प्राविधान किया गया है,जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिसटेंस अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं ।

5–रिफ्यूज एरिया का का विवरण :– भवन में बालकनी प्राविधानित है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :– एन0बी0 सी0 – 2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यावस्थाएं पूर्ण किये जाने अनिवार्य होगें।

1–भूमिगत टैंक :–भूमिगत टैंक 150 के0एल0 क्षमता का मानचित्र में अंकित है ।

2–पम्प :– अन्डर ग्राउन्ड टैंक के पास मेन पम्प 2280 एल0पी0 एम0 क्षमता का तीन अदद विद्युत चालित पम्प ,एक अदद डीजल चालित पम्प 2280 एल0 पी0 एम0 क्षमता,जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का मानचित्र में अंकित है ।

3 –होजरील :–प्रस्तावित भवन में होजरील ,लैडिंग वाल्ब,आई0एस0 –3844 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

4 –वेटराइजर :–प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुरुप मानचित्र में अंकित है ।

5–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में **यार्ड हाइड्रेट** होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0 एस0 13039:1991 के अनुसार मानचित्र में अंकित है,

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :–मैनुअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

7–स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम :–भवन में आवश्यक नही है ।

8–स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :– सम्पूर्ण भवन/बेसमेंट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है , भवन के स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग अन्डर ग्राउण्ड व ओवर हेड टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा ।

9–टैरिस टैंक :–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक के टैरिस पर टैरिस टैंक 10000–10000 लीटर क्षमता का स्थापित किया जाना मानचित्र में अंकित है ।

10–टेरिस पम्प :–प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास टैरिस पम्प की आवश्यकता नही है ।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर) :–प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूसर आई0एस0 2190–2010 के अनुसार मानचित्र में अंकित किया गया है ।

12–स्मोक एक्सट्रेक्सन सिस्टम :–

ए0–फायर चेक डोर ,स्मोक चेक डोर की लोकेसन व रेटिंग 2एच है ।

बी0– प्रश्नगत भवन के बेसमेंट के फ्लोर एरिया का 3.92 प्रतिशत भाग ओ.टी.एस. रख कर प्राकृतिक वातायन की व्यवस्था किया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

13 –**प्रेशराईजेशन प्रणाली** :– भवन में आवश्यक नही है ।

14 –**एक्जिट साइनेज** :–सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज प्राविधानित किया जाना अनिवार्य होगा ।

15–**पी0ए0 सिस्टम** :–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्रविधानित किया जाना आवश्यक होगा हैं

16–प्रश्नगत भवन में **इमरजेंसी/एस्केप लाईटिंग** एन0बी0सी0–2005 ,पार्ट–04 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

17–भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधि ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0–2005 , पार्ट–04 के प्रस्तर–सी–05,सी–07,सी–08 व सी–09 में उल्लिखित मानको का पालन अनिवार्य होगा ।

18– भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट , स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोडा जाना आवश्यक होगा।

19–लिफ्ट – प्रश्नगत भवन में लिफ्ट की साईज इस प्रकार की हो जिससे आपातकाल में चलने फिरने में असमर्थ रूग्ण व्यक्ति को स्ट्रेचर पर उपरी तल से भूतल तक लाया जा सके ।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ,लखनऊ,द्वारा प्लाट/खसरा सेक्टर–02ए ,अवध बिहार योजना लखनऊ पर प्रस्तावित मंदाकिनी इंक्लेव आवासीय भवन के निमार्ण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस र्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन /इकाइयो में अग्नि से सुरक्षा संबंधी सभी प्रस्तावित प्राविधान व इस पत्र में अंकित शर्तो को भवन विनियामावली तथा नेशनल बिल्डिग कोड आफ इंडिया –2005 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले प्राविधानित एवं शर्तो के अनुसार भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानक के अनुसार भैतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्नि मन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा । अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्नक : मानचित्र

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक
उ0 प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय,
लखनऊ

प्रतिलिपि –

1– मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ उपनिदेशक ,लखनऊ, को उनके पत्र संख्या :प–1958/एफ. एस–लखनऊ–14, दिनॉक 29.5.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

2 –अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित